पत्र सं०–एम–4–01/2022 4397 /वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान,
सभी जिला लेखा पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक 05-05-2022

विषय :– बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातो को बंद करने के संबंध में।

प्रसंग :– वित्त विभागीय दिशा–निर्देश पत्रांक–2575 दिनांक–14.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः सूचित करना है कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्तीय लेन–देन में वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किया जाता रहा है। नियमानुसार कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जानी है, जितना तुरत भुगतान हेतु आवश्यक हो। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में Park नहीं किया जाना है। इस संबंध में बिहार कोषागार संहिता का नियम–176 एवं 177 प्रासंगिक है। वित्त विभागीय पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय संव्यवहार हेतु व्यापक दिशा–निर्देश निर्गत है। इसकी कंडिका–5(viii) में बोर्ड, निगम, सोसाईटी, प्राधिकरण इत्यादि के विभिन्न स्कीमों से संबंधित बैंक खाता में Beneficiaries Oriented Schemes (राज्य योजना) से संबंधित अव्यवहृत राशि की समीक्षा कर उसे राज्य की समेकित निधि में या चालू स्कीम के मामले में पी०एल०/पी०डी० खाता में ससमय जमा करने का दिशा–निर्देश पूर्व से निर्गत है।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कतिपय स्कीम की राशि की निकासी कर बैंक खाता में संधारित किया जाता है, किन्तु बैंक खातों में पड़ी हुई अव्यवहृत राशि को संगत शीर्ष में ससमय वापस नहीं किया जाता है, जो वित्तीय प्रावधानों के प्रतिकूल है।

नियमानुसार बैंक खातों में पड़ी हुई अव्यवहृत राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व संगत शीर्ष में वापसी किया जाना चाहिए, किन्तु भारत सरकार के स्कीमों जिसमें भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि बैंक खातों में रखे जाने की बाध्यता हो, वैसे मामलों में भारत

सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरुप कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी प्रकार वित्त विभागीय उक्त प्रासंगिक दिशा–निर्देश में जिन मामलों में छूट दी गई है, के अनुरुप कार्रवाई की जानी चाहिए।

अतः अनुरोध है कि अपने विभागान्तर्गत एवं कार्यालयों के विभिन्न स्कीमों से संबंधित बैंक खातों में पड़ी हुई अव्यवहृत राशि की समीक्षा कर उस राशि को राज्य की समेकित निधि में संगत शीर्ष में या चालू स्कीम के मामले में आवश्यकतानुसार संबंधित पी०एल०/पी०डी० खाता में ससमय अंतरित कर नियमानुसार व्यय किया जाय तथा अनावश्यक बैंक खातों को बन्द कर दिया जाय। वित्त विभागीय पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020 जिन मामलों पर लागू नहीं है, वह यथावत् रहेगा।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

05/5/2022

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांकः–एम–4–01/2022– 4397 /वि० **पटना, दिनांक**– 05-05-2022

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

05/5/2022

सचिव (संसाधन)